कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

ऐतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कला संकाय परिसर स्थित छात्र कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त निविदायें दिनांक 30/11/2022 से दिनांक 14/12/2022 को शाम 5–00 बजे तक भरकर अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में जमा करने हेतु आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 15/12/2022 को अपराह्न 3–00 बजे सम्बन्धित समिति के सामने खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की बेवसाइट **(www.allduniv.ac.in)** पर उपलब्ध है, जहॉ से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा की नियम एवं शर्ते निम्नवत है।

1) कैन्टीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिए न्यूनतम किराया रू0 2000/– प्रतिमाह निर्धारित है। जिस निविदाकर्ता द्वारा अधिकतम किराया प्रस्तावित किया जायेगा एवं निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची में वर्णित विक्रय के लिए प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की विक्रय कीमत कम होगी अन्य शर्तो के अधीन उसकी निविदा स्वीकार की जायेगी।

2) निविदा के साथ निविदाकर्ता को अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैन्टीन संचालन किया हो तो उक्त अनुभव को समिति द्वारा अतिरिक्त अनुभव मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकती है।

3) कैन्टीन चलाने हेतु पहले एक वर्ष के लिए अनुमति पत्र जारी किया जाऐगा, कैन्टीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने की दशा में संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्वि की जा सकती है। इस हेतु कैन्टीन संचालनकर्ता को प्रतिमाह के किराए में 10 प्रतिशत वृद्वि करते हुए किराए का भुगतान करना होगा।

4) अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि कैन्टीन संचालनकर्ता पुनः कैन्टीन संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो यह नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जबतक कैन्टीन नवीन कैन्टीन संचालक को आवंटित नही होती तबतक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत बढाकर जमा करना होगा।

Office of The Vice Chancellor, University of Allahabad
Sig. ...
Date 24/11/22

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

5) निविदाकर्ता को निविदाफार्म के साथ रू0 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) की धरोहर राशि वित्त अधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप मे प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6) कैन्टीन संचालक को कैन्टीन हेतु पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर वास्तविक दरो के अनुसार विद्युत देयक का भुगतान करना होगा।

7) कैटीन संचालक द्वारा अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिदाता से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय कैटीन संचालक को ही वहन करना होगा।

8) कैंटीन के संचालन के लिये कैटीन संचालक के द्वारा ही मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेगा तथा इसपर रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी कैटीन संचालक का ही होगा।

9) कैटीन संचालक कैंटीन का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिशद्/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

10द्ध कैटीन संचालक के द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर अधिश्ठाता छात्र कल्याण, इ0वि0वि0 से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐंसी दर बाजार दर से अधिक नही होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जायेगी।

11) निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियो के अलावा कैंटीन संचालन/अनुज्ञप्तिधारक कैटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से निर्धारित दर पर या उससे न्यूनतम दर पर ही विक्रय कर सकेगा।

12) विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैटीन परिसर में सद्रश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी कैटीन संचालक का होगा।

13) कैटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि कैटीन संचालक के द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो कैटीन संचालक को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राषि नही लौटाई जावेगी और कैंटीन का कब्जा ले लिया जायेगा।

Office of The Vice Chancellor, University of Allahabad
Sig. Date 24/11/22

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

14) इस प्रपत्र में उल्लिखित कैंटीन संचालन की षर्तो का कैंटीन संचालक द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दषा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राषि विष्वविद्यालय के हित में जब्त की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नही होगा।

15) कैटीन संचालक ऐंसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विष्वविद्यालय संपत्ति की क्षति हो अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेग।

16) कैटीन संचालक कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्व गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा कैटीन संचालक के विरूद्व विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

17) कैटीन संचालक या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नही करेगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी ीाी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

18) कैटीन संचालक के द्वारा कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हे आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नही किया जावेगा।

19) कैटीन संचालकको दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह कैटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रति दिवस 500/— रूपये की दर से षास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

20) कैटीन संचालक अनावश्यक रूप से कैटीन बंद नही रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा 1000/— रूपये प्रतिदिन की दर से षास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

21) कैटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता का कोई दायित्व नही रहेगा।

Office of The Vice Chancellor, University of Allahabad
Sig.
Date 24/1/22

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

22) कैटीन संचालक द्वारा कैटीन परिसर में स्वयं के व्यय पर कलर, पेंट एवं मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर कराया जावेगा।

23) कैटीन संचालक के द्वारा कैटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नही किया जायेगा।

24) कैटीन संचालक कैटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विकय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा। कैंटीन संचालक के पास भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य सामग्री की विकी हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिये।

25) कैटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूमपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

26) निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोटः– निविदा दिनांक ....15/12/2022.......को दोपहर 2–00 बजे अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नही खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

"मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है"।

Office of The Vice Chancellor, University of Allahabad
Sig. Date 24/11/22

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम..

पिता का नाम..

पताः..

फोन नंबर/मोबाइल नंबर...

ई–मेल आईडी...

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

संलग्नः— 01 कैंटीन संचालन हेतु दर की सूची।

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा फार्म

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का नाम..

पिता का नाम..

पता...

....

मोबाइल न0...

ई—मेल आई0डी0..

प्रस्तावित अनुबंध राशि...

अनुज्ञप्तिदाता — अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

कैंटीन संचालन का स्थान— कला संकाय परिसर, भूगोल विभाग के पास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

Office of The Vice Chancellor, University of Allahabad
Sig.
Date 24/11/22

NKL
(कुलसचिव)
REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad